बिहार सरकार

परिवहन विभाग

संoसंo–07/स्थाo (मुकo)–09–07/2025, परिo 5939 पटना, दिनांक– 20-07-26

आदेश

श्री प्रभाष चन्द्र झा, तत्कालीन प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सारण सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा परिवहन विभाग के आदेश संo–4817, दिनांक–22.06.2023 (सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति) के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. : 5376/2025 (प्रभाष चन्द्र झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–14.05.2026 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"2. Learned senior counsel for the petitioner submits that the petitioner has filed a representation before the State Transport Commissioner, Bihar Patna & the Secretary, Transport Department, Bihar Patna seeking permission to join in light of the order passed by the Appellate Authority contained in Memo No. : 423, dated – 25.10.2024, but till date no dicision has been taken on his representation dated – 18.02.2025.

3. Learned counsel for the State submits that filing of a counter-affidavit is necessary in the present case.

4. This Court is of the view that filing of a counter-affidavit shall be a futile exercise, particularly when the respondent authorities have not taken any decision on the representation filed by the petitioner.

5. Accordingly, this Court, without entering into the merits or demerits of the case, directs the Secretary, Transport Department, Bihar, Patna (respondent no. 2), to take a decision on the petitioner's representation and pass a reasoned and speaking order in light of Memo No. 423, dated – 25.10.2024 within 60 days from the date of production/receipt of a copy of this orer.

6. Accordingly, the present writ petition stands disposed of."

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में श्री झा द्वारा सेवा में योगदान कराने हेतु दिनांक–19.05.2026 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री झा के अभ्यावेदन पर विचार करने हेतु विभागीय पत्रांक–4621, दिनांक–08.06.2026 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया तथा सचिव, परिवहन विभाग के कार्यालय कक्ष में दिनांक–11.06.2026 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। श्री झा द्वारा उक्त तिथि को उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए बर्खास्तगी आदेश को समाप्त कर सेवा में पुनर्स्थापित करने का अनुरोध किया गया।

3. जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक–3060, दिनांक–30.07.2019 एवं पुलिस अधीक्षक, सारण का पत्रांक–3564, दिनांक–29.07.2019 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन तथा विभागीय कार्यों में की गयी लापरवाही के आधार पर श्री झा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए

विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। श्री झा के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये :–

आरोप सं0–1 – श्री झा के विरूद्ध सारण में प्रतिनियुक्ति के दौरान ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली करने का आरोप जिसके कारण सारण पुलिस द्वारा इनके विरूद्ध मुफ्फसिल थाना कांड सं0–291/19, दिनांक–28.07.2019, धारा–420/409/120 बी0, भा0 द0 वि0 एवं 13(1)(ए)/13(2) Preventation of Corruption Act, 1988 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

आरोप सं0–2 – विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए राजस्व संग्रह से संबंधित प्रतिवेदन Whatsapp Group पर नहीं भेजना एवं Revenue Collection Report की Entry नहीं करने एवं विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने का आरोप।

आरोप सं0–3 – विभागीय निदेशों के बावजूद E-Challan Portal पर रू0 40,44,000/– की राशि की Entry नहीं करने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप।

आरोप सं0–4 – वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में राजस्व संग्रहण हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अत्यल्प क्रमशः 41.88 प्रतिशत एवं 18.04 प्रतिशत की ही राजस्व वसूली करने का आरोप।

4. संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश सं0–4817, दिनांक–22.06.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत श्री झा के विरूद्ध **"सेवा से बर्खास्तगी"** की शास्ति अधिरोपित की गयी।

5. **श्री झा द्वारा पूर्व में परिवहन विभाग के उक्त दण्डादेश सं0–4817, दिनांक–22.06.2023 (सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति) के विरूद्ध माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के समक्ष अपीलवाद सं0–03/2023 (श्री प्रभाष चन्द्र झा, प्रवर्तन अवर निरीक्षक बनाम राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना) दायर किया गया। माननीय मंत्री द्वारा उक्त अपीलवाद में दिनांक–25.10.2024 को आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसार :–**

"अनुशासनिक प्राधिकार–सह–राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आदेश ज्ञापांक–4817, दिनांक–22.06.2023 से अधिरोपित बर्खास्तगी के वृहत दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है, जो आरोप सं0–1 में सक्षम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर एवं उसके फलाफल से प्रभावित होगा। अपीलकर्ता श्री प्रभाष चन्द्र झा को तद्नुसार सेवा में पुनर्स्थापित किया जाता है। साथ ही आरोप सं0–2, 3 एवं 4 के विरूद्ध श्री झा द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को अपर्याप्त पाते हुए भविष्य के लिए चेतावनी के साथ निन्दन (वर्ष, 2019) का दण्ड विनिश्चित किया जाता है।"

6. श्री प्रभाष चन्द्र झा के विरूद्ध मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन रहने तथा मामला गंभीर प्रकृति के होने के कारण माननीय मंत्री द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार हेतु संचिका मुख्य सचिव, बिहार को पृष्ठांकित की गयी। मुख्य सचिव द्वारा उक्त मामले में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त करने हेतु आदेश दिया गया।

7. उपर्युक्त आदेश के आलोक में संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गयी। विधि विभाग द्वारा संचिका विद्वान महाधिवक्ता को पृष्ठांकित की गयी। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उक्त मामले में दिये गये परामर्श का मुख्य अंश निम्नवत् है–

"Undisputedly, the order of punishment in consequence of a disciplinary proceeding. The disciplinary proceeding is kind of quasi-judicial proceeding having all the trappings of a judicial proceeding. The inquiry has to be conducted in accordance with the provisions contained in the rules. Besides, at every stage of the inquiry, the inquiry Officer has to ensure compliance of principle of natural justice. On conclusion of inquiry, if the charges are found proved, the disciplinary authority having regard to nature of misconduct decide the quantum of punishment. The aggrieved delinquent officer is entitled to prefer an appeal before an appellate authority. Again disposal of appeal is in exercise of quasi-judicial power by the appelate authority. Such power is distinct from exercise of administrative power. While exercising power, the appellate authority is expected to apply his independent mind based on outcome of disciplinary procedings. The order passed in appeal attains finality. It is only the revisional jurisdiction which may be invoked under rule 28 for revising any order in the manner provided in rule 28. It is to be noticed that no power of revision shall be exercised by head of the department, unless (i) the authority which made the order in appeal, or (ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred is subordinate to him.

It would thus, be evident that Minister of the Department cannot be construed as subordinate to the Chief Minister while exercising power as an appellate authority. It is not a case where due to difference of opinion between the Minsiter of the Department and its Secretary, the matter is referred to the Chief Minister through Chief Secretary. Such a course of action can be adopted where the difference of opinion is on account of any administrative issue. Present is not an administrative issue. The Minister of the Department has exercised his appellate power as a quasi-judicial authority. She cannot be construed as subordinate to the Chief Minister, while exercising appellate jurisdiction. Thus, the Minister of the Department not being subordinate to the Chief Minister, in my considered view his orders in appeal may not be amenable to revisional jurisdiction under rule 28 of the rules."

8. चूँकि श्री झा के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के आरोप में मुफ्फसिल थाना काण्ड सं0–291/19, दिनांक–28.07.2019, धारा–420/409/120 बी, भा0 द0 वि0 एवं 13(1)(ए)/13(2) Prevention of Corruption Act, 1988 के तहत प्राथमिकी दर्ज रहने तथा मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण श्री झा की सेवा के संबंध में अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सका।

9. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री झा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं मौखिक रूप से रखे गये पक्ष, माननीय मंत्री द्वारा अपीलवाद सं0–03/2023 में दिनांक–25.10.2024 को पारित आदेश तथा विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा

दिये गये परामर्श के आलोक में विचारोपरान्त **श्री झा के विरूद्ध आरोप सं0–1 में सक्षम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर एवं उसके फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर उनके विरूद्ध निर्गत दण्डादेश सं0–4817, दिनांक–22.06.2023 (सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति) को निरस्त करते हुए श्री प्रभाष चन्द्र झा को सेवा में पुनर्स्थापित किया जाता है तथा आरोप सं0–2, 3 एवं 4 प्रमाणित होने के कारण श्री झा को भविष्य के लिए चेतावनी के साथ निन्दन (वर्ष 2019) का दण्ड विनिश्चित किया जाता है।**

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5939 पटना, दिनांक– 20-07-26

प्रतिलिपि– श्री प्रभाष चन्द्र झा, सम्प्रति बर्खास्त प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना, पता – ग्राम – महुराटन, पो0 – बढ़ौनिया, भाया – तारापुर, थाना – संग्रामपुर, जिला – मुंगेर, बिहार, पिन–813321 को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5939 पटना, दिनांक– 20-07-26

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/जिला पदाधिकरी, सारण/पुलिस अधीक्षक, सारण/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।